"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई 2012—आषाढ़ 26, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/3283/एफ-04/01/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के उपबंधों के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक/डी-15/5/87/14-3ए, भोपाल, दिनांक 09-12-1987 द्वारा, तत्कालीन बिलासपुर जिले (वर्तमान कोरबा) के तत्कालीन विकासखंड कटघोरा, पोड़ी-उपरोड़ा तथा पाली के समस्त राजस्व एवं वनग्रामों को समाविष्ट करते हुए, कटघोरा में मंडी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् कटघोरा मंडी के अधिसूचित मंडी क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट है.

यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (एक) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक/2833/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 23-07-2011 द्वारा, चांपा के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में से वर्तमान कोरबा जिले के करतला तहसील को अपवर्जित करते हुए तथा कटघोरा के वर्तमान अधिसूचित मंडी क्षेत्र में इनको शामिल करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है, अत: कटघोरा, कोरबा, पोड़ी-उपरोड़ा, पाली एवं करतला तहसील के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र को समाविष्ट किया जा रहा है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जांजगीर-चांपा जिले के चांपा मण्डी के मंडी क्षेत्र जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित है, को कोरबा जिले के कटघोरा मंडी के क्षेत्र में उक्त मंडी क्षेत्र सहित समाविष्ट किया जाये.

अनुसूची

(क) जांजगीर-चांपा जिले के वर्तमान चांपा मंडी क्षेत्र में समाविष्ट वर्तमान कोरबा जिले की करतला तहसील के संपूर्ण राजस्व एवं वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2012

क्रमांक/3283/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3283/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 16-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 16th July 2012

NOTIFICATION

No./3283/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No./D-15/5/87/14-3 A, Bhopal dated 09-12-1987, issued under the provision of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Katghora, having market area comprising of all revenue and forest villages of the then development blocks Katghora, Podi-Uproda and Pali of the then District Bilaspur (presently Korba), hereafter referred to as "the notified market area of Katghora Mandi."

Whereas, by issuance of Notification No./2833/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 23-07-2011, the State Government, by exercising powers conferred under clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention by excluding the Kartala Tahsil of present Korba district therefrom the notified present market area of Champa, including the same with presently notified market area of Katghora, thus comprising of complete area of Tahsil Katghora, Korba, Podi Uproda, Pali and Kartala Tahsil inclusive of all forest villages.

Now, therefore, in exercising of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, directs that with effect from the date of publication of this notification in the "Chhattisgarh Gazette" the said market area of Champa mandi of district Janjgir-Champa, as mentioned in Schedule below, shall be included in the Katghora Mandi area of Korba district.

SCHEDULE

(A) Complete area of Tahsil Kartala of present Korba district inclusive of all revenue and forest villages, presently included in Champa mandi area of district Janjgir-Champa.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/3285/एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2465/11994/14 (1), भोपाल, दिनांक 26-04-1969 द्वारा, तत्कालीन रायगढ़ जिले के तत्कालीन विकासखंड पत्थलगांव एवं धरमजयगढ़ के सम्पूर्ण राजस्व एवं वनग्रामों के मण्डी क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए, पत्थलगांव में मण्डी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् "पत्थलगांव मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक/2835/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 23-07-2011 द्वारा, अधिसूचित पत्थलगांव मण्डी क्षेत्र जो कि ऊपर उल्लिखित है, में से वर्तमान रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील को अपवर्जित करते हुए तथा रायगढ़ जिले की कृषि उपज मण्डी घरघोड़ा के मण्डी क्षेत्र में समामेलन के लिए तथा जशपुर जिले के बगीचा मण्डी क्षेत्र, कासाबेल एवं पत्थलगांव तहसील के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र को "पत्थलगांव मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के आशय को संसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जशपुर जिले के बगीचा मण्डी क्षेत्र तथा कासाबेल एवं पत्थलगांव तहसील के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्रों को "पत्थलगांव मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में घोषित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2012

क्रमांक/3285/एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3285/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 16-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 16th July 2012

NOTIFICATION

No./3285/F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No. 2465/11994/14 (1), Bhopal, dated 26-04-1969, issued under the provision of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960) regulated the market at Pathalgaon having market area comprising of all revenue and forest villages of the then, development blocks Pathalgaon and Dharamjaygarh of the then Raigarh District, hereafter referred to as "the notified market area of Pathalgaon Mandi."

Whereas, by issuance of Notification No./2853/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 23-07-2011, the State Government, by exercising the powers conferred under clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention by excluding the Dharamjaygarh Tahsil of present Raigarh district from above mentioned notified Pathalgaon Mandi area and including the mandi area of Krishi Upaj Mandi Samiti Gharghora of Raigarh District comprising of all forest villages of Kasabel and Pathalgaon Tahsil and Bagicha mandi area of Jashpur District to be declared as "the notified market area of Pathalgaon Mandi."

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, directs that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette complete area inclusive of all forest villages of Kasabel and Pathalgaon Tahsil and Bagicha mandi area of Jashpur District, shall be declared as "the notified market area of Pathalgaon Mandi."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.